3/23

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :– भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबधं में ।

K. [illegible]/DA

04/03/23

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं छट्टू यादव पिता स्व० झरी महतो

ग्राम चेचाई पो० कोडरमा थाना कोडरमा

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :–

1. मौजा चेचाई
2. थाना कोडरमा
3. थाना न0 335
4. खाता न0 81
5. प्लॉट न0 713
6. रकवा 04 डी0
7. भूमि का किस्म रैयती
8. अधतन रसिद न0 0610979629 / 25·8·22
9. दा0 खारिज वाद संख्या

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतू सत्यापन प्रमाण पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मै श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

छट्टू यादव

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...175.../2023

11.04.2023

आवेदक छटु यादव पिता स्व0 झरी महतो, साकिन–चेचाई, पोस्ट–करमा थाना– कोडरमा, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
चेचाई	335	21	713	4 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...18.../...04.../2023 को प्रस्तुत करें।

11/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

18.04.2023

अभिलेख उपस्थापित

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–चेचाई, थाना नं0–335, खाता सं0–21, प्लॉट सं0–713, रकवा–4.28 ए0 भूमि पंजी–II के पृष्ठ संख्या–19/2 पर सोहा देवी पति झरी महतो के नाम से ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा0 खा0 वाद सं0–329/1964–65 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–691 दिनांक 21.01.1959 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–10 दिनांक 02.03.2023 एवं 10 दिनांक 10.04.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–चेचाई, थाना नं0–335, खाता सं0–21, प्लॉट सं0–713, रकवा–4 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

18/04/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.09.16 13:55:57 +05:30
Location: 192.168.29.246